संख्याः 1258/9-आ-4-97-629एन/95 (टी.सी.)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून/वाराणसी/गोरखपुर/ मुरादाबाद/इलाहाबाद/ कानपुर/ आगरा/ बरेली व मेरठ।

आवास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 1997

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1300/9-आ-4-96-629एन/95 (टी.सी.) दिनांक 29 अगस्त, 1996 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि उपरोक्त शासनादेश के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप सुसंगत नहीं है। अस्तु निर्धारित प्रारूप एतद् द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

2. अतः कृपया अब शासनादेश संख्याः 1300/9-आ-4-96-629एन/95 (टी.सी.) दिनांक 29 अगस्त, 1996 से आच्छादित मामलों में फ्री-होल्ड की कार्यवाही हेतु संलग्न प्रारूप पर प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

शासनादेश संख्याः 1258/9-आ-4-97-629एन/95 (टी.सी.) दिनांक 15 जुलाई, 1997 का संलग्नक

1. नजूल भूखण्ड का विवरण।
   (1) भूखण्ड संख्या एवं स्थिति
   (2) पट्टागत सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल (मूल पट्टे की प्रमाणित प्रति सहित)
2. सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में फ्री-होल्ड किया जाना प्रस्तावित है।
   (1) भूखण्ड का क्षेत्रफल मानचित्र सहित।
   (2) विक्रय पत्र/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति।
3. यदि पट्टागत भूमि हस्तानान्तरित कर दी गयी है तो उसका विवरण।
4. (क) विक्रय विलेख/ विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति।

हस्तानान्तरणी/ केता का नाम	**हस्तानान्तरित क्षेत्रफल**	**हस्तानान्तरण की तिथि**	**कब्जा देने की तिथि**
1.			
2.			
3.			

   (ख) हस्तानान्तरण/कब्जा देने की कार्यवाही पट्टे की शर्तों के अनुसार की गयी है अथवा नहीं।
5. पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यदि उल्लंघन हुआ हो तो उसका विवरण।
6. पट्टागत भूमि का वर्तमान में भू-उपयोग एवं भूमि का दिनांक 30.11. 91 को निर्धारित सकिल रेट।
7. पट्टागत भूमि नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड किये जाने हेतु पट्टाधारक की निर्धारित स्टाम्प पर सहमति (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
8. नामित व्यक्ति द्वारा भूमि को फ्री-होल्ड कराने हेतु उपलब्ध कराया गया सहमति पत्र निर्धारित स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
9. नामित व्यक्ति का निर्धारित स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (इन्डेमनिटी बाण्ड) निर्धारित स्टैम्प पेपर पर।
10. नजूल भूखण्ड के केता जिनके प्रकरण में पट्टाधारक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है, उन मामलों में निम्न सूचना/ अभिलेख संलग्न किया जाना है :-

(i) पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति एवं स्टाम्प पेपर पर शासन की नीति के अनुसार फ्री–होल्ड कराने विषयक सहमति पत्र।

(ii) क्रेता की ओर से रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (इन्डेमनिटी)।

11. पट्टागत अथवा पूर्व पट्टागत नजूल भूमि के ऐसे मामलों, जहां पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तरधिकारी द्वारा भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग को विक्रय करने हेतु पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध किया गया है, में निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाना है।

(i) पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति एवं शासन की नीति के अनुसार फ्री–होल्ड कराने हेतु अनुबन्धकर्ता की स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति।

(ii) प्रस्तावित क्रेता/अनुबन्धकर्ता की ओर से निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है और पट्टेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारी की ओर से अनुबन्ध की शर्तों को लागू करने हेतु मा0 उच्च न्यायालाय अथवा किसी सक्षम न्यायालय में रिट याचिका/वाद प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय के निर्णय के अनुपालन का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता/ प्रस्तावित क्रेता का होगा।

(iii) जिन मामलों में पट्टाधारक द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति उपलब्ध करा दी जाती है, उन मामलों में भी क्षतिपूर्ति बन्ध (इन्डेमनिटी बाण्ड) रू0 100/– के स्टाम्प पर अनुबन्धकर्ता/प्रस्तावित क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित